(राज्य सभा द्वारा 6 अगस्त, 2019 को पारित रूप में)

2019 का विधेयक संख्यांक 27-सी

[दि नेशनल इन्सटिट्यूट ऑफ डिजाइन (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

वृहत नाम का संशोधन ।

2014 का 18

2. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत नाम में, "राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद नामक संस्था को डिजाइन से संबंधित सभी शाखाओं में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में क्वालिटी और उत्कर्ष की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने" शब्दों के स्थान पर "कतिपय डिजाइन संस्थानों को डिजाइन से संबंधित सभी शाखाओं में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में क्वालिटी और उत्कर्ष की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 1 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) के हिंदी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

धारा 2 का प्रतिस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में घोषित करना ।

"2. चूंकि अनुसूची में उल्लिखित संस्थाओं के उद्देश्य ऐसे हैं जो उन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं बनाते हैं, अत: यह घोषणा की जाती है कि ऐसा प्रत्येक संस्थान राष्ट्रीय महत्व की संस्था है ।" ।

धारा 3 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(घ) किसी संस्थान के संबंध में "निदेशक" से धारा 18 के अधीन नियुक्त किया गया ऐसे संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;';

(ii) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ङ) किसी संस्थान के संबंध में "निधि" से धारा 23 के अधीन यथा अनुरक्षित ऐसे संस्थान की निधि अभिप्रेत है;';

(iii) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(च) किसी संस्थान के संबंध में "शासी परिषद्" से ऐसे संस्थान की धारा 11 के अधीन यथा गठित शासी परिषद् अभिप्रेत है;';

(iv) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(छ) "संस्थान" से अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित संस्थाओं में से कोई संस्था अभिप्रेत है;';

(v) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ज) "संस्थान परिसर" से संस्थान का ऐसा परिसर अभिप्रेत है जो ऐसे संस्थान द्वारा भारत के भीतर या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर स्थापित किया जाए;';

(vi) खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ट) किसी संस्थान के संबंध में "कुल सचिव" से ऐसे संस्थान का धारा 20 के अधीन यथानियुक्त कुल सचिव अभिप्रेत है;';

(vii) खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(टक) "अनुसूची" से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;';

(viii) खंड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ठ) किसी संस्थान के संबंध में "सिनेट" से ऐसे संस्थान का सिनेट अभिप्रेत है;';

(ix) खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

1860 का 21

'(ड) "सोसाइटी" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अनुसूची के स्तंभ 3 में उल्लिखित सोसाइटियों में से कोई सोसाइटी अभिप्रेत है ;';

(x) खंड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ढ) किसी संस्थान के संबंध में "परिनियमों और अध्यादेशों" से ऐसे संस्थान के इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियम और किए गए अध्यादेश अभिप्रेत हैं । ;';

धारा 4 का प्रतिस्थापन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

संस्थान का निगमीकरण ।

"4. (1) प्रत्येक संस्थान अनुसूची के स्तंभ (4) में यथाउल्लिखित उसी नाम का एक निगमित निकाय होगा ।

(2) प्रत्येक संस्थान का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी जिसे इस अधनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए चल और अचल संपत्ति, दोनों को अर्जित करने, धारित करने और उनका व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा ।

(3) प्रत्येक संस्थान का गठन करने वाले निगमित निकाय में संस्थान की तत्समय विद्यमान शासी परिषद् का अध्यक्ष, निदेशक और अन्य सदस्य सम्मिलित होंगे ।

(4) कोई संस्थान भारत के भीतर या भारत से बाहर ऐसे स्थान पर, जो वह ठीक समझे संस्थान का परिसर स्थापित कर सकेगा :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व कर्नाटक राज्य के बैंगलूरु और गुजरात राज्य के गांधी नगर में स्थापित किए गए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के प्रत्येक परिसर को उसका संस्थान परिसर समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के संबंध में इस उपधारा में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति कोई निर्देश 16 सितंबर, 2014 के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा ।"।

धारा 5 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 5 में,--

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) किसी विधि या किसी संविदा या अन्य लिखत में अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित सोसाइटी के प्रति कोई निर्देश अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित तत्स्थानी संस्थान के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा;"

(ii) खंड (ङ) में, "कर्नाटक राज्य में बैंगलूरु और गुजरात राज्य के गांधी नगर में अवस्थित" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(iii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 1**—राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के संबंध में

इस धारा में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति कोई निर्देश 16 सितंबर, 2014 के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा और आंध्र प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के संबंध में उस तारीख के बारे में, जिसको राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है ।"।

धारा 6 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 7 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 8 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 8 में, "संस्थान निवेशों में सभी शिक्षण कार्य संस्थान" शब्दों के स्थान पर "संस्थान परिसरों में सभी शिक्षण कार्य प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 9 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर ""प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 10 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 10 में, "संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 11 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 11 में, "शासी परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान की शासी परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 15 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 15 में, "संस्थान की सिनेट" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान की सिनेट" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 16 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 16 में "संस्थान की सिनेट" शब्दों के स्थान पर "किसी संस्थान की सिनेट" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 18 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में "संस्थान" शब्द के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 20 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) में "संस्थान के कुल सचिव" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान के कुल सचिव" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 22 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 22 में "संस्थान को अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन" शब्दों के स्थान पर "किसी संस्थान को अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 23 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में "संस्थान" शब्द के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 24 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 24 में "संस्थान" शब्द के स्थान पर "किसी संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) में "संस्थान" शब्द के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 26 का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) में "संस्थान" शब्द के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 27 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 27 में,—

(i) आरंभिक भाग में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "किसी संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में, " ज्येष्ठडिजाइनर" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, "प्रधान डिजाइनर" शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 29 का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में "संस्थान" शब्द के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 30 का संशोधन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 30 में "संस्थान के अध्यादेशों" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान के अध्यादेशों" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 32 का संशोधन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में "संस्थान और उसके किसी कर्मचारी के बीच" शब्दों के स्थान पर "किसी संस्थान और उसके किसी कर्मचारी के बीच" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 33 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 33 में "संस्थान" शब्द के स्थान पर "किसी संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 34 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 34 में "संस्थान को जब कभी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य अभिकरण से जिसके अंतर्गत ऐसा उद्योग भी है, जो संस्थान द्वारा निष्पादित या विन्यासित की जाने वाली किसी अनुसंधान स्कीम या किसी परामर्शकारी कार्यक्रम या किसी शिक्षण कार्यक्रम या किसी पीठासीन आचार्य पद या किसी छात्रवृत्ति आदि को प्रायोजित करता है, निधियां प्राप्त होती हैं" शब्दों के स्थान पर "किसी संस्थान को जब कभी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य अभिकरण से, जिसके अंतर्गत ऐसा उद्योग भी है जो संस्थान द्वारा निष्पादित या विन्यासित की जाने वाली किसी अनुसंधान स्कीम या किसी परामर्शकारी कार्यक्रम या किसी शिक्षण कार्यक्रम या किसी पीठासीन आचार्य पद या किसी छात्रवृत्ति आदि को प्रायोजित करता है, निधियां प्राप्त होती हैं" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 35 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) में "संस्थान" शब्द के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 36 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 36 में "संस्थान को" शब्दों के स्थान पर "किसी संस्थान को" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 37 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 37 में "संस्थान" शब्द के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 39 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 39 में,—

(i) खंड (क) में "संस्थान के रूप में कार्य कर रही शासी परिषद्" शब्द के स्थान पर, "किसी संस्थान के रूप में कार्य कर रही शासी परिषद्" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) में "यथास्थिति, बेंगलूरु या गांधी नगर स्थित संस्थान" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 1**—राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के संबंध में इस धारा में इस अधिनियम के प्रारंभ का कोई निर्देश 16 सितंबर, 2014 के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा और आंध्र प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के संबंध में उस तारीख के बारे में, जिसको राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है ।"।

धारा 40 का संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 40 में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 1**—राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के संबंध में इस धारा में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति कोई निर्देश 16 सितंबर, 2014 के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा और आंध्र प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के संबंध में उस तारीख के बारे में, जिसको राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है ।"।

नई अनुसूची का अंत:स्थापन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 41 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"अनुसूची

(धारा 2,3 (छ), (टक), (ड), 4(1) और 5(क) देखें)

क्रम सं.	राज्य का नाम	सोसाइटी का नाम	इस अधिनियम के अधीन निगमित संस्थाओं के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गुजरात	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद,
2.	मध्यप्रदेश	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, भोपाल, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश
3.	असम	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जोरहाट, असम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम
4.	हरियाणा	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, कुरुक्षेत्र, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, हरियाणा
5.	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश"

MGIPMRND—2503RS(CRC)—7-8-2019.